## उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972]

# THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972 [U.P. Act No. 34 of 1972]

#### उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972<sup>1</sup>

#### [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972]

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1977

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1978

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 1 अगस्त, 1972 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 4 अगस्त, 1972 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनाँक 17 अगस्त, 1972 को स्वीकृत प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 19 अगस्त, 1972 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- 2—— {(1)}³ जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

परिभाषाएं

- (क) "नियत दिनाँक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जब परिषद् स्थापित की जाय;
- (ख) ''बेसिक शिक्षा'' का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कॉलेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद ''बेसिक स्कूल'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से है:
- (घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः {शिक्षा निदेशक}², उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;
- (ङ) ''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य {जिला पंचायत या नगर पालिका,}⁴ जैसी भी दशा हो, से है;
- $\{(\exists)$  ''नगर पालिका'' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् या नगर निगम से है। $\}^5$
- {(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिए दिए गए हैं।}

<sup>1.</sup> उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनाँक 28 जुलाई, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 15 द्वारा रखा गया।

<sup>3.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा २ द्वारा पुनर्संख्यांकित किया गया।

उपर्युक्त की धारा 2(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।

उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

3—— (1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी।

परिषद् का संघटन

- (2) परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  - (3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--
    - (क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;
  - (ख) दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा [उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों] के अध्यक्षों में से, यदि कोई हो, नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे;

  - (घ) एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा {उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों} के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हो, नाम—निर्दिष्ट किया जायगा;
    - (ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;
    - (च) प्रिसिंपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;
    - {(च-1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद पदेन;
    - (च-2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन;}<sup>2</sup>
    - (छ) दो शिक्षाविद, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;
  - (ज) एक अधिकारी, जिसका पद उन–निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा और जो सदस्य–सचिव होगा।
- (4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को, जिसका पद राज्य सरकार के उपसचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।
- (5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति— आदेश में निर्दिष्ट अविध के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

राज्य सरकार अधिसूचना सं0 6088/15-(5)-72-150-72 द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1972 एक ऐसा दिनांक नियत किया गया, जबसे परिषद् उ०प्र०बेसिक शिक्षा परिषद् के रूप में जाना जायेगा।

<sup>2.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० २१, १९७५ की धारा १६ द्वारा बढाये गये।

<sup>3.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा ३ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4.</sup> उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं, मानो कोई रिक्ति न हुई हो।
- (7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायगी।
- 4—— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिये अध्यापक—प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उनका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना और उसके स्तर को ऊँचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा—प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना होगा।
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी——
  - (क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक—प्रशिक्षण के लिए संशिक्षण—क्रम तथा पुस्तक विहित करना;
  - (ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करें और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना:
  - {(ग) {गांव शिक्षा समितियों या नगर पालिकाओं} द्वारा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करने और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए परीक्षणार्थियों को तैयार करने के संबंध में {गांव जिला समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना} 5 ;}1

्प्रितिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण—क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थांए, इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता प्राप्त समझी जायगी;}³

- (घ) बेसिक स्कूलों, {जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान}<sup>6</sup>, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना
- {(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या तथा सुधार और उसमें अनुसंधान के लिए {गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं} दारा तैयार की गई योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना;} 4

परिषद् के कृत्य

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 21, 1975 की धारा 17(1) द्वारा रखे गये।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 26 (क—1) द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से रखे गये समझे जाय।

<sup>3.</sup> उपर्युक्त की धारा 26 (ख) द्वारा रखी गई तथा सदैव से रखी गई समझी जायेगी।

<sup>4.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २१, १९७५ की धारा १७(२) द्वारा रखा गया।

<sup>5.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा ४ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>7.</sup> उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना {\*\*\*}³;
  - (छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना;
- {(छ—1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के सम्पादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो;}<sup>4</sup>

- (ज) ऐसे सभी कार्य करना, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो;
- {(3) प्रतिबन्ध (2) के खण्ड (गग) या खण्ड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों का, जो नियत दिनाँक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरिक हो जायेंगे।}
- 5— (1) परिषद् और {\*\*\*} धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनायें।

परिषद् का कार्य संचालन

- (2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—
  - (क) परिषद् और उपधारा (1) में अभिदिष्ट {समिति}<sup>7</sup> की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य—संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;
  - (ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य;

- (घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या {समिति}<sup>7</sup> के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;
- (ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 26 (ख) द्वारा रखी गई तथा सदैव से रखी गई समझी जायेगी।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 23 द्वारा निकाला गया।

<sup>3.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा 4 (घ) द्वारा निकाला गया।

उपर्युक्त की धारा 4 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उपर्युक्त की धारा 4 (च) द्वारा निकाला गया।

उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा निरसित।

उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम, जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखण्डित कर सकती है।
- 6—— (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

- (2)  $\{***\}^2$
- (3)  $\{ * * * * \}^1$
- 7— (1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेगी और परिषद् के सभी भूगतान उसी से किये जायेंगे।

परिषद् की निधि

- (2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।
- 8—— (1) परिषद्, उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

- (2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण—पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।
- (3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
- (4) लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

9— नियत दिनांक को और केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारी वर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और उसी अविध के लिए उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे धारण करते, यदि परिषद् संघटित न की गई होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे, जब तक कि रि्रेसी अविध, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा} उपरिवर्तित न कर दिया जाय:

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

प्रतिबन्ध यह है कि नियम, दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गई कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी, सेवा समझी जायेगी:

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २1. 1975 की धारा 18 द्वारा निकाली गयी।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 24 द्वारा निकाला गया।

उपर्युक्त की धारा 25(क) द्वारा अन्तर्विष्ट।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिए, जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार संपादन करेगा।

- (2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी, जो नियत दिनांक से दो महीने की अविध के भीतर सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उसकी सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा, जो निम्नलिखित होगा:—
  - (क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी है) के बराबर धनराशि;
  - (ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी है) के बराबर धनराशिः
- (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से, जिसमें वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर, जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, र्जिब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तों में परिवर्तन न कर दिया जाय} स्थानान्तरित किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि बिसिक स्कूल के, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थें] किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बिसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायगा।

- (4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
- (5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य—निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित, जिसे नियत दिनांक से पूर्व जमा किया जाना चाहिए था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी, जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखेगी।
- (6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किए जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 27 द्वारा अन्तर्विष्ट।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 25 द्वारा अन्तर्विष्ट।

धारा 9क-10क}

[9—क—— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के लिए प्रारम्भ के दिनांक को और से ——

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

- (क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगर पालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा:
- (ख) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगर पालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो अन्तरित और उसमें निहित होगी;
- (ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किरायेदारी किसी संविदा पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या नगर पालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी;
- (घ) धारा 18क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में परिषद्, लाइसेंसधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीरत ऐसा भवन अवस्थित हो यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसा भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में ऐस निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेसंधारी समझा जायेगा।
- (2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगर पालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बन्धक, पटटा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।}1
- <sup>2</sup>{10— (1) उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक जिला पंचायत परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित समस्त या उसमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् —

जिला पंचायत के कृत्य

- (क) जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना;
- (ख) जिला में बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का, सामान्यतया ऐसी रीति से विहित की जाय, पर्यवेक्षण करना;
- (ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय:

10——क— (1) यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद्, 1916 के अधीन नगर पालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण या नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उसमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्—

नगर पालिकाओं के कृत्य

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

- (क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्ध करना;
- (ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना, जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे;
- (ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाओं को तैयार करना:
- (घ) नगर पालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;
- (ङ) नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघुदण्ड देने को सिफारिश करना;
- 11— (1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी, जो गांव शिक्षा समिति कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

- (क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;
- (ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम—निर्दिष्ट किए जायेंगे;
- (ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो सदस्य सचिव होगा।
- (2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गाव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात
  - (क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;
  - (ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना:
  - (ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;
  - (घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;
  - (ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना, जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों ओर कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

- (च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, लघुदण्ड देने की सिफारिश करना;
- (छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।}³
- 12— (1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल  $\{***\}^1$  और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थाानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय—सयम पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

- {(2) निदेशक, किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने पर या अन्य प्रकार से पायें गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निदेश दे सकता है।
- (3) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निवेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकारण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।
- (4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।}²

13——(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए जायें। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किए जाने के सम्बन्ध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।
- (3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियाँ तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी, जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय—समय पर अपेक्षा करे।

{13—क— संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।}⁵

अध्यारोही प्रभाव

- 1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 28 (1) द्वारा निकाला गया।
- 2. उपर्युक्त की धारा 28 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
- 3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 18 वर्ष 2000 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 4. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा निरसित।
- उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

धारा 14-18

14— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई (शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय)<sup>2</sup> ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

प्रत्यायोजन की शक्ति

- (2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।
- 15— राज्य सरकार या परिषद् उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये, किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावना से किए गये कार्यों का संरक्षण

16— इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

17— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कितनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसे अधिनियमिति के, जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- (2) इस धारा (1) के अधीन कोई आदेश (उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात्)<sup>3</sup> नहीं दिया जायगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीय, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।
- [18— उपबन्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 तथा यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में सम्मिलित किए गये।]

स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियमों का संशोधन

- 18—— (1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निदिष्ट रूप से संशोधित हो जायेंगी।
- (2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में धारा 43 में उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायं और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसके प्रतिन्धात्मक खण्ड में शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।
  - 1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 29 द्वारा अन्तर्विष्ट।
  - 2. उ०प्र० अधिनियम सं० 18 वर्ष २००० की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
  - उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा अन्तर्विष्ट।

- (3) यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में ---
- (क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्
  - "(1) बोर्ड संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी, जैसे सिविल अभियंता, सहायक सिविल अभियंता, विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, जल—कल अभियंता, सहायक जल—कल अभियंता, विद्युत एवं जल—कल अभियंता, सहायक विद्युत एवं जल—कल अभियंता या ओवरसिवर तथा जहाँ पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।"
  - {(ख) बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में धारा 73 लागू न होगी;}1
- (ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात —

"सिविल अभियंता, सहायक सिविल अभियंता, विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, जल–कल अभियंता, सहायक जल–कल अभियंता, विद्युत एवं जल–कल अभियंता, सहायक विद्युत एवं जल–कल अभियंता, अर्हता प्राप्त ओवरसिवर या सब–ओवरसिवर अथवा सिवव नियुक्त करना।"

{18—क—— (1) जहाँ किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए नियत दिनांक पर किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी, उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी।

कतिपय भवनों के सम्बन्ध में परिषद् का किरायेदार होना

- (2) जहाँ किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिए नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय अध्यासन था, वहां परिषद् उक्त दिनों से ऐसे भवन या भाग के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अविधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेंसधारी हुआ समझा जायेगा।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, पट्टा या अन्य संलेख या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।}²
- {19—— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध बनाया जा सकता है, अर्थात् :-
  - (क) धारा 6 के अधीन अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;
  - (ख) धारा 9 के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९७७ की धारा ३० द्वारा अन्तर्विष्ट।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा अन्तर्विष्ट तथा सदैव से अन्तर्विष्ट किये हुए समझे जायेंगे।

- (ग) परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;
- (घ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना आवश्यक समझा जाय;
- (ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाता हो या किया जा सकता हो।}¹
- 20— उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 14, 1972

## THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972<sup>1</sup> [U. P. Act No. 34 OF 1972]

Amended by U. P. Act No.5 of 1977 U. P. Act No. 12 of 1978

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 1, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 4, 1972.

Received the assent of the Governor on August 17, 1972, under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated August 19, 1972.]

#### AN ACT

to provide for the establishment of a Board of Basic Education and for matters connected therewith

It is hereby enacted in the twenty-third year of the Republic of India as follows: -

Short title and extent

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.
  - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions

- 2. [(1)]<sup>3</sup> In this Act, unless the context otherwise requires------
  - (a) "appointed day" means' the date on which the Board is established;-
  - (b) "basic education" means education up to the eighth class imparted in schools other than High schools or Intermediate colleges, and the expression "basic schools" shall be construed accordingly;
  - (c) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Basic Education constituted under section 3;
  - (d) "Director" and "District Basic Education Officers" means officers appointed by the State Government as the [Director of Education,]<sup>2</sup> Uttar Pradesh and District Basic Education Officers respectively;
  - (e) "local body" means the [Zila Panchayat or Municipality,]<sup>4</sup> as the case may be;
  - [(f) "municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be.]<sup>5</sup>
  - (2) Words and expressions used in this Act but no defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 of the U.P. Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be.]<sup>6</sup>

1. For statement of objects and Reasons see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated July 28, 1972.

- 2. Substituted by section 15 of U. P. Act No. 21 of 1975.
- 3. Renumbered by section 2 of U.P. Act No. 18 of 2000
- 4. Subs. by section 2 (a)(i) ibid.
- 5. Subs. by section 2 (2) ibid.
- 6. Added by section 2 (b) ibid.

## Constitution of the Board

- 3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette appoint, there shall be established a Board to be known as the Uttar Pradesh-Board of Basic Education.
  - (2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and to hold property and may by its name sue and be sued.
  - (3) The Board shall consist of the following members, namely-
    - (a) the Director, ex officio, who shall be the Chairman;
    - (b) two persons to be nominated by the State Government from amongst the Adhyakshas, if any, of [Zila Panchayat established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961]<sup>3</sup>;
    - (c) one person to be nominated by the State Government from amongst the Nagar Pramukhs, if any, of the [Corporation constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959]<sup>4</sup>;
    - (d) one person to be nominated by the State Government from amongst the Presidents, if any, of the [Municipal Council and Nagar Panchayat established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916]<sup>5</sup>;
    - (e) the Secretary to the State Government in the Finance Department, ex-officio;
    - (f) the Principal, State Institute of Education, ex-officio;
    - [(f-1) the Secretary, Board of High School and Intermediate Education Allahabad, ex-officio:
    - (f-2) the President of the Uttar Pradesh Prathmik Shikshak Sangh, ex- officio;]<sup>2</sup>
    - (g) two educationists to be nominated by the State Government;
    - (h) an officer not below the rank of Deputy Director of Education, to be nominated by the State Government, who shall be the Member-Secretary.
  - (4) An officer referred to in clause (e) of sub-section (3) may instead of attending a meeting of the Board himself depute an officer of his department not below the rank of Deputy Secretary to the State Government to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.
  - (5) The members of the Board other than ex officio members shall ordinarily be entitled to hold office for the period specified in the order of appointment, unless the appointment is terminated earlier by the State Government;

Provided that any member, other than an ex officio member, may at any time by notice in writing addressed to the State Government resign his office.

<sup>1.</sup> A board ill to be known as the Uttar Pradesh Board of Basic Education since July 25. 1972, as a date appointed by the State Government vide no.  $6088/15 \cdot (5) 72-150-72$  dated July 25. 1972.

<sup>2.</sup> Ins. by section 16 of U.P. Act No. 21 of 1975.

<sup>3.</sup> Subs. by section 3 (a) of U.P. Act No. 18 of 2000.

<sup>4.</sup> Subs. by section 3 (b) ibid.

<sup>5.</sup> Subs. by section 3 (c) ibid.

4.

- (6) During any vacancy in the membership of the Board the continuing members may act as if no vacancy had occurred.
- (7) No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

#### Function of the Board

- (1) Subject to the provisions of this Act it shall be the function of the Board to organize, co-ordinate and control the imparting of basic education and teachers training there for in the State, to raise its standards and to correlate it with the system of education as a whole in the State.
- (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Board shall, in particular, have power-
  - (a) to prescribe the courses of instruction and books for basic education and teachers training there for:
  - (b) to conduct the junior high school and basic training certificate examinations and such other examinations as the State Government may from time to time by general or special order assign to it and to grant diplomas or certificates to candidates successful at such examinations;
  - [(c) to lay down, by general or special orders in that behalf, norms relating to the establishment of institutions by the [Ganv Shiksha Samitis or Municipalities]<sup>5</sup> and the superintend Ganv Siksha Samiti, Gram Panchayat and Municipalities]<sup>5</sup> in respect of the administration of institutions, for imparting instruction and preparing candidates for admission to examinations conducted by the Board; 1
  - [(cc) to take over the management of all basic schools, which before the appointed day, belonged to any local body: ]<sup>2</sup>

[Provided that the courses of instruction and books prescribed and institutions recognized before the commencement of this Act shall be deemed to be prescribed or recognized by the Board under this Act; ]<sup>3</sup>

- (d) to exercise supervision and control over basic schools, [District School of Education and Training]<sup>6</sup>, basic training certificate units and the State Institute of Education;
- [(e) to accord approval (with or without modification) to the schemes prepared by the [Gaon Shiksha Samiti, Zila Panchayat or Municipalities<sup>7</sup> for the development, expansion and improvement of and research in basic education in any district or in the State or in any part thereof;]4

1. Substituted by section 17(1) of U. P. Act no. 21 of 1975.

<sup>2.</sup> Ins. by section 26 (a-1) of U. P. Act no. 5 of 1977.

Ins. and be deemed always to have been inserted by sect. 26 (b) ibid.

Subs. by section 17 (2) U. P. Act no. 21 of 1976.

Subs. by section 4 (a) of U.P. Act No. 18 of 2000

Subs. by section 4 (b) ibid.

Subs. by section 4 (c) ibid.

- (f) to acquire, hold and dispose of any property, whether movable, or immovable [\*\*\*]<sup>3</sup>;
- (g) to receive grants, subventions and loans from the State Government;
- [g-1) subject to the general control of the State Government to issued directions not in consistent with this Act, the gaon Shisha Samiti, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;]<sup>4</sup>
- $(g-2) [***]^5$
- (h) to take all such steps as may be necessary or convenient for, or may be incidental to, the exercise of any power, or the discharge of any function or duty conferred or imposed on it by this Act.
- [(3) for the purposes of exercising powers of management, super-vision and control over the basic schools under clause (cc) or clause (d) of sub-section (2), which before the appointed day belonged to a local body, the powers and functions of a local body in respect of such schools shall stand transferred to the Board.]<sup>1</sup>

Conduct of business of the Board 5.

- (1) The business of the Board and of [\*\*\*]<sup>6</sup> Gaon Shiksha Samiti referred to in section II shall be conducted in accordance with such regulations as the Board may, with the previous approval of the State Government, make in that behalf.
  - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:
    - (a) the summoning and holding of meetings of the Board or of [the Samiti]<sup>7</sup> referred to in sub-section (1), the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum thereat;
    - (b) the powers and duties of the Chairman and of the Secretary and other officers of the Board;
    - (c)  $[***]^2$
    - (d) the procedure for carrying out the functions of the Board or of [the Samiti]<sup>7</sup> as aforesaid under this Act;
    - (e) the management of the schools and other institutions held by or under the control of the Board.

-----

- 1. Ins. and be deemed always to have been inserted by sect. 26 (b) of U. P. Act no. 5 of 1977.
- 2. Delete by section 23 of U. P. Act no. 12 of 1978.
- 3. Omitted by section 4 (d) of U.P. Act No. 18 of 2000.
- 4. Subs. by section 4 (e) ibid.
- 5. Omit by section 4 (f) ibid.
- 6.Omitted by section 5 (a) ibid.
- 7.Ins. by section 5 (b) ibid.

(3) Until any regulation is made by the Board under sub-section (1), any regulation which may be made under that sub-section may be made by the State Government, and any regulation so made may be altered or rescinded by the Board in exercise of its powers under sub-section (1)

Officers and other employees of the Board

- 6. (1) For the purpose of enabling it efficiently to discharge its functions under this Act the Board may appoint such number of officers, teachers and other employees as it may, with the previous approval of the State Government think fit.
  - $(2) [***]^2$
  - $(3) [***]^1$

Fund of the Board

- 7. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be carried thereto and all payments for the Board shall be made therefrom .
  - (2) Subject to any general or special order of the State Government, the Board shall have the power, subject to the provisions of this Act, to spend such sum as it may, think fit on objects or for purposes authorised by this Act.

Account and Audits

- 8. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may by general or special order specify.
  - (2) The Board shall prepare an annual financial statement (budget) and submit to the State Government for its approval.;
  - (3) The accounts of the Board shall be audits by such authority as the State Government may by general or special order specify.
  - (4) The accounts of the Board as certified by the audit authority together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.

Transfer of employees

9. (1) On and from the appointed day every teacher, officer and other employees serving under a local body exclusively in connection with basic schools (including any supervisory or inspecting staff) immediately before the said day shall be transferred to and become a teacher, officer or other employee of the Board and shall hold office by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other terms and conditions of service as he would have held the same if the Board had not been constituted and shall continue to do-so unless and until such tenure, remuneration and other terms and conditions are duly [altered by rules made by the State Government in that behalf]<sup>3</sup>:

Provided that any service rendered under the local body by any such teacher, officer or other employee before the appointed day shall be deemed to be service rendered under the Board:

<sup>1.</sup> Omit by section 18 of U. P. Act no, 21 of 1975.

<sup>2.</sup> Delete by section 24 of U. P. Act no. 12 of 1978.

<sup>3.</sup> Ins. by section 25 (a) ibid.

Provided further that the Board may employ any such teacher, officer or other employee in the discharge of such functions under this Act as it may think proper and every such teacher, officer or other employee shall discharge those functions accordingly.

- (2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any teacher, officer or other employee, who by notice in writing in that behalf to the State Government within a period of two months from the appointed day intimates his option for not becoming an employee of the Board, and where any employee gives, such notice, his service under the local body shall stand determined with effect from the appointed day and he shall be entitled to compensation from to local body, which shall be as allows:
  - (a) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for append of three months or for the remaining period of his service, whichever is less;
  - (b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for one month or for the remaining period of his service, whichever is less.
- (3) Notwithstanding anything in sub-section (1) any person referred to therein, who becomes an employee of the Board shall be liable to be transferred from the school or from the local area in which he was employed immediately before the appointed day to any other school or institution belonging to Board or, as the case may be, to any other local area [until such tenure, remuneration and other terms and conditions are altered by the rules referred to in sub-section (1)]<sup>1</sup>:

Provided that no teachers of a basic school [which before the appointed day belonged to a local body]<sup>2</sup> shall be transferred to basic school belonging to any other local body except with his consent.

- (4) If any question arises whether the services of any person stand transferred to the Board under sub-section (1) or as to the remuneration and other terms and conditions of service of such employee immediately before the appointed day, it shall be decided by the State Government whose decision shall be final.
- (5) Any provident fund maintained by any local body for the employees referred to in sub-section (1) along with all contributions of such employees as well as of the local body which ought to have been but have not been deposited therein before the appointed day, shall be transferred by the local body to the Board, which shall hold it in' trust for the employees concerned in accordance with the terms and conditions governing such fund.
- (6) The transfer of services of any employee to the Board under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation and no such claim shall be entertained by any Court, tribunal or authority.

------

<sup>1.</sup> Ins. by Sec. 27 of U. P. Act no. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Ins. by Sec. 25 of U. P. Act no. 12 of 1978.

Control of teacher and properties of basic school

- 9-A (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000
  - (a) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;
  - (b) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic school shall stand transferred to and vest in the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic is situated:
  - (c) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;
  - (d) the Board shall cease to be the license in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.
  - (2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to and vested in such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).]<sup>1</sup>

## <sup>2</sup>[Functions of Zila Panchayats

- 10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats Kshetra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the Following functions, namely--
  - (a) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the districts;
  - (b) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education;
  - (c) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

## Functions of Municipalities

10-A (1) Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the Following functions, namely--

<sup>1.</sup> Substituted by section 6 of U.P. Act No. 18 of 2000.

<sup>2.</sup> Subs. by section 7 ibid.

- (a) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;
- (b) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic school;
- (c) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic school:
- (d) to promote and develop basic education, non- formal education and adult educations in the Municipal Area,
- (e) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.]<sup>1</sup>

#### Gaon Shiksha Samiti and its funcitions

- 11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a Committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely-
  - (a) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;
  - (b) three guardians of students of Basic Schools (of whom one guardian must be a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;
  - (c) the head master of the basic school situate in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior most of the head masters thereof, who shall be Member-Secretary thereof.
  - (2) Except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervisions and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely--
    - (a) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;
    - (b) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools:
    - (c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;
    - (d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic school, buildings and the equipment thereof;
    - (e) to take all necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools:

- (f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area;
- (g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.]<sup>3</sup>

#### Control over Basic Schools

- 12. (1) The Director may, from time to time, inspect or cause to be inspected any basic school [\* \* \* \* \*]¹ and also the records and proceedings of the local body concerning or connected with the discharge of the functions of the local body in respect of basic education.
  - [(2) The Director may direct the management a basic school to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.
  - (3) If the management of basic school fails to comply with any direction made under clause sub-section (2), the Director may, after, considering the explanation or representation, if any, given or made by the management refer the case to the Board for withdrawal of recognition of such school.
  - (4) On receipt of recommendation under sub-section (3) in respect of any basic school, the Board may withdraw the recognition of that school.]<sup>2</sup>

12-A  $[***]^4$ 

#### Control b the State Government

13. (1) The Board shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act.

- (2) If in, or in connection with, the exercise of any of its powers and discharge of any of the functions by the Board under this Act, any dispute arises between the Board and the State Government, or between the Board and any local body, the decision of the State Government on such dispute shall be final and binding on the Board or the local body, as the case may be.
- (3) The Board or any local body shall furnish to the State Government such reports, returns and other information, as the State Government may from time to time require for the purposes of this Act.

## [Overriding effect

13-A

Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.]<sup>5</sup>

-----

- 1.Del. by section 28(1) of U.P. Act No.5, 1977.
- 2. Subs. by section 28 (2) ibid.
- 3. Substituted by section 7 of U.P. Act No. 18 of 2000.
- 4. Omitted by section 8 ibid.
- 5. Added by section 9 ibid.

## Power to delegate

- 14. (1) The State Government may delegate any of its [powers, except the power to made rules]<sup>2</sup> under this Act to the Director or to any other officer or authority subordinate to it subject to such conditions, if any, as may be specified.
  - (2) The Board may by general or special order direct that any power exercisable by it under this Act, except the power to make regulations may also be exercised by its Chairman or by such Committee or officer, in such cases and subject to such conditions, if any, as maybe specified therein.

# Protection of acts done in good faith

15.

No suit, prosecution or other legal proceeding shall be against the State Government or the Board or any of its Committees or any member of the Board or of a Committee or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of-this Act or any order or direction made thereunder.

## Bar of jurisdiction of Courts

16. No order or decision made by the Board or any of its Committees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

## Power to remove difficulti es

- 17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or by reason of anything contained in this Act the State Government may, as occasion requires, by notification in the Gazette; make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting or modifying any provisions of this Act or of any enactment by or under which any local body is constituted but not effecting the substance as it may think necessary or expedient for the purposes of this Act.
  - (2) No order under sub-section (1) shall be made [after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000]<sup>3</sup>.
  - (3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

#### Amendment of Acts relating to Local Bodies

18. [Provisions incorporated in the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, and U. P. Municipalities Act,1916.]<sup>1</sup>

- 18. (1) With effect from the appointed day the enactments mentioned in sub-sections (2) and (3) shall stand amended as specified in the said sub-sections.
  - (2) In the U. P. Kshettra Samitis and Zita Parishads Adhiniyam, 1961 in section 43, in Sub-section (2), for the words "teachers and any other" the words "such other" shall be substituted and in sub-section (3), clause (a) shall be omitted, and in the Proviso thereto for the words "the Shiksha Chunav Samiti or Chunav Samitis, as the case my be" the words "the Chunav samiti" shall be substituted.

<sup>1.</sup> Inser. by section 29 of U. P. Act no. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Substituted by section 10 of U.P. Act No. 18 of 2000.

<sup>3.</sup> Inser. of section 11 ibid.

- (3) In the U. P. Municipalities Act: 1916-
  - (a) in section 68, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely-
    - "(1) A board may and if so required by the State Government shall by special resolution, appoint the principal officers of it a technical, such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical, Engineer, Assistant Electrical Engineer, Waterworks Engineer, Assistant waterworks Engineer, Electrical and Waterworks Engineer or Overseer and also Secretary where there is already an Executive Officer.
  - [(b) section 73, shall cease to apply in relation to Basic schools;]<sup>1</sup>
  - (c) in Schedule 1 for the entry in Column (2) relating to section 68 the following entry shall be substituted, namely:-

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Waterworks Engineer, Assistant Waterworks Engineer, Electricity and Waterworks Engineer, Assistant Electrical and Waterworks Engineer, qualified Overseer or Rub-Overseer or Secretary.

[Board to become tenant in respect of certain buildings

- 18-A (1) Where any building or part thereof was on the appointed day occupied as tenant by any local body for the purpose of any basic school, the tenancy' in respect of such building or part shall, with effect from the said day, stand transferred in favour of the Board.
  - (2) Where any building or part thereof belonging to a local body was on the appointed day occupied by it for the purposes of any basic school, the Board shall, with effect from the said day, be deemed to have become licensee on behalf of the local body in respect of such building or part on such terms and condition as the State Government may be by general or special order determine.
  - (3) The provisions of this section shall have effect, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, or any law for the time being in force.]<sup>2</sup>

### [Power to make Rules

- 19. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
  - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely--
    - (a) there cerement, and the conditions of service of persons appointed to the posts of officers, teachers and other employees under section 6;
    - (b) the tenure of service, remuneration and other terms and conditions of service of officers, teachers and other employees transferred to the Board under section 9;

<sup>1.</sup> Ins. by section 30 of U.P. Act No. 5, 1977.

<sup>2.</sup> Ins. and be deemed always to have been inserted by section 31 ibid.

- (c) the recruitment, and the conditions of service of the persons appointed, to the posts of teachers and other employees of basic schools recognized by the Board;
- (d) any other matter for which insufficient provision exists in the Act and provision in the rules, is considered by the State Government to be necessary;
- (e) any other, matter which is to be or may be prescribed.]<sup>1</sup>

Repeal of 20. U.P. Ordinance no. 14 of 1972 The Uttar Pradesh Basic Education Ordinance, 1972 is hereby repealed.

.....

<sup>1.</sup> Substituted by section 26 of U.P. Act no. 12 of 1978.